न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां(नागौर)

मुकदमा नम्बरः– 222A / 2022

वादी :–
राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादी :–
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी।

दावा बाबत रिकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः–11.02.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी राजस्व ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी का रहने वाला काश्तकार व्यक्ति हैं। राजस्व ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 994 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1240 / 582 रकबा 2.6250 हैक्टर भूमि स्थित रही हैं। खसरा नम्बर 994, 998 कुल रकबा 1.62 हैक्टर भूमि में वादी 1 / 90 हिस्सा भूमि व खसरा नम्बर 1240 / 582 कुल रकबा 2.62 हैक्टर भूमि में वादी 1 / 6 हिस्सा भूमि का काबिज कृषक खातेदार चला आ रहा हैं। वादी की उक्त की भूमि के चारों तरफ मौके पर कच्ची पक्की सींव माठ कायम कर रखी हैं। वादी अपने खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित भूमि के सहारे अपना व अपने परिवार की आजीविका निर्वहन करता चला आ रहा हैं। उपरोक्त भूमि में वादी का नाम राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह भूलवंश सहवन से दर्ज हो गया हैं जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हैं जिसका वादी रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। वादी के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका व ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र इत्यादि सभी में वादी का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह दर्ज चला आ रहा हैं। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के कारण वादी को भारी असुविधाओं का सामना करना पड रहा हैं जिसके कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाले तमाम अनुदान से वंचित होना पड रहा हैं। राजस्व ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 994 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1240 / 582 रकबा 2.6250 हैक्टर भूमि में राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह दर्ज कर इस आशय की रिकॉर्ड दुरूस्त करने की डिक्री बहक वादी के हक में फरमाने जाकर तहरीर जारी करने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार कुचामन सिटी एवं सरपंच ग्राम पंचायत हुडील से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामन सिटी ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हुडील के नामांतकरण संख्या 1105 दिनांक 17.02.2020 की दर्ज करते समय सहवन से राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जूनसिंह के स्थान पर राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह दर्ज हो गया। उक्त नामांतकरण में दर्ज खाता संख्या 4, 111 व 112 में से खाता संख्या 112 में जरिये शुद्धि पत्र राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जूनसिंह दर्ज किया जा चुका है जबकि खाता संख्या 4, 111 में राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह दर्ज है जिसको शुद्ध किया जाना उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत हुडील ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय राजेश सिंह पुत्र अर्जूनसिंह हो गया है जबकि वादी के दस्तावेजात में राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जूनसिंह दर्ज है तथा इनका सही नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जूनसिंह करने की अभिशंषा की जाती है। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी राजेन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू.2 गवाह चतरसालसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हुडील तहसील कुचामन व पी.डब्ल्यू.3 गवाह पन्नापुरी पुत्र भागीरथपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम शेषम तहसील दांतारामगढ़ के मुख्य परीक्षण के शपथ पेश किये। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 994 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1240/582 रकबा 2.6250 हैक्टर भूमि में तहसीलदार कुचामन सिटी एवं सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह घोषित किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

आदेश

अतः वादी के वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री की जाती हैं कि राजस्व ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 994 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1240/582 रकबा 2.6250 हैक्टर भूमि में तहसीलदार कुचामन सिटी एवं सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी :–

राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी।

मुकदमां नम्बर :– 222A/2022 **निर्णय दिनांक :–** 11.02.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी के वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री की जाती हैं कि राजस्व ग्राम हुडील तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 994 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1240/582 रकबा 2.6250 हैक्टर भूमि में तहसीलदार कुचामन सिटी एवं सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम राजेशसिंह पुत्र अर्जूनसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2023 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां नागौर)

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested